परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्भंध में संछिप्त विवरण)

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, एवं एक "नवरत्न" केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्राप्त है। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर एवं केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) है। इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईटीएस) के माध्यम से बिजली के प्रसारण का प्रावधान है। केंद्र के उत्पादन केंद्रों से लोड केंद्रों पर आसान प्रवाह के लिए अंतर-राज्य संचरण लाइनों के एक कुशल, समन्वित और आर्थिक प्रणाली का विकास सुनिश्चित करता है। उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा कार्य प्रस्तावित है।

उपरोक्त पारेषण लाइन का सर्वेक्षण मार्ग इस प्रकार रखा गया है कि लाइन निर्माण से कम से कम वन भूमि प्रभावित हो तथा कम से कम वृक्षों का पातन हो। 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का कोरीडोर 35मी0 लिया गया है तथा लाइन की कुल लम्बाई 24.023 किमी0 है। एवं 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लिलो लाइन का कोरीडोर 46मी0 लिया गया है तथा इस लाइन की कुल लम्बाई 2.768 किमी0 है।

उपरोक्त लाइन के निर्माण कार्य से कुल 3103. .... वृक्ष प्रभावित होंगे। इस लाइन के निर्माण कार्य से वन्य जीवन प्रभावित नहीं होगा। उपरोक्त लाइन के निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली भूमि का विवरण निम्न लिखित है।

भूमि का विवरण	क्षेत्रफल(हे0) जनपद पिथौरागढ़
आरक्षित वन भूमि	0
वन पंचायत भूमि	45.0884
सिविल सोयम भूमि	13.3613
कुल वन भूमि	58.4497
निजी भूमि	38.3657
कुल भूमि	96.8154

उपरोक्त पारेषण लाइन के निर्माण कार्य से स्थानीय निवासियों को आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे तथा पूरे जनपद में लाखों लोग लाभांवित होंगे। जनपद पिथौरागढ़ में विद्युत उपलब्धता बढने से क्षेत्र की आर्थिक स्थिती में गुणात्मक सुधार होगा जिससे स्थानिय रोज़गार में तेज़ी आयेगी तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

प्रयोक्ता एजेंसी

Asst. General Manager
Power Grid Cor[illegible] India Limited
400 KV GIS

प्रपत्र : 2

परियोजना : पिथौरागढ से जौलजीबी 220 के0वी0 डबल सर्किट लाईन और जौलजीबी मे धौलीगंगा से बरेली 400 के0वी0 डबल सर्किट लाईन के ली0लो0 का निर्माणकार्य ।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	पिथौरागढ से जौलजीबी 220 के0वी0 डबल सर्किट लाईन और जौलजीबी मे धौलीगंगा से बरेली 400 के0वी0 डबल सर्किट लाईन के ली0लो0 का निर्माणकार्य ।
ख)1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है ।
ग) परियोजना की लागत।	रू. 431994022.354
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	धौलीगंगा परियोजना द्वारा उत्पादित विधुत ऊर्जा के निकास और उत्तराखण्ड और उत्तरी क्षेत्र मे विधुत व्यवस्था मे गुणात्मक सुधार हेतु एक ऐसा संरेखण जिसमे वन भूमि की मांग न्यूनतम हैं ।
लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है ।
रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	लाईन के निर्माण कार्य मे स्थानिय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । .
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	वन पंचायत भूमि 45.0884 हे0, सिविल सोयम भूमि 13.3613 हे0 और निजी भूमि 38.3657 हे0 .
2. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	लागू नही
क) परिवारों की संख्या	लागू नही
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नही
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नही
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां/नही)	नही
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्रआदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता(वचनवद्धता संलग्न की जाये)	प्रमाण पत्र संलग्न है ।
2. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	विषय सूची के अनुसार

दिनांक . 20/7/2013
स्थान - Pithoragarh

प्रयोक्ता एजेंसी

Asst. General Manager
Power Grid Corp... Limited
400 KV GIS, ... Pithoragarh

प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला पिथौरागढ

(iii) जिला वन प्रभाग पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 58.4497 है

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः सिविल सोयम, वन पंचायत.

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः

(i) वन का प्रकार सिविल वं०पं०

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व .4

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न.

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा संलग्न है

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : .25 Km.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : संलग्न है.

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : संलग्न है

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) संलग्न है.

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : संलग्न है

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। अपरिहार्य व न्यूनतम है

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। नहीं

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : संलग्न है.

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। सिविल की भूमि

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। संलग्न है

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। संलग्न है.

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। संलग्न है

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : संलग्न है

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। हाँ

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। हाँ

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित। प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

स्थानः पिथौरागढ़

तारीखः 28-7-2018 हस्ताक्षर नाम/शासकीय मुद्रा

सहमत

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

Comparative Statement for Alternative Route Alignment

Construction of 220 kV D/C Pithoragarh to Jauljibi Transmission Line & LOOP IN LOOP OUT of 400 kV D/C Dhauliganga-Barreilly transmission line at Jauljibi.

S.No.	Description	Alternative-I	Alternative-II	Alternative-III
1	Color in Map	Pink	Blue	Green
2	Bee line length (220kV)	20.91Km	20.91 Km	20.91Km
3	Bee line length (400kV) LILO	1Km	1Km	1Km
4	Line Length (220kV) a. Plain b. Hilly	0 24.023 Km	0 27.745 Km	0 27.40 Km
5	Line length (400kV) LILO a. Plain b. Hilly	0 2.70 Km	0 2.70 Km	0 2.70 Km
6	No. of Angle Points	90 Nos.	95 Nos.	92 Nos.
7	Forest (in hectares)	58.4497	75.9619	64.6734
8	Transportation and Maintenance	Transportation & maintenance is easily accessible all along the route	Transportation & maintenance is less accessible all along the route	Transportation & maintenance is less accessible all along the route
9	Power Line Crossing	Nil	Nil	Nil
10	Railway line crossing	Nil	Nil	Nil
11	River crossing a. Major b. Minor	Nil	Nil	Nil
12	Pollution	Nil	Nil	Nil
13	Marshy Area	Nil	Nil	Nil
14	Special Tower	Nil	Nil	Nil
15	Airports	Nil	Nil	Nil
16	Sanctuary Area	Nil	Nil	Nil
17	Defence Area (Military Area)	Nil	Nil	Nil
18	Tree Density	High	Low	High
19	NH crossing	Nil	Nil	Nil

[signature]

20	SH crossing	1 Nos.	5 Nos.	1 Nos.
21	Coal belt Area, Pipelines, Gas lines	Nil	Nil	Nil
22	Approaches for Construction and O&M	Less Accessible from cart track, unmetalled/metalled road, State Highway	Less accessible from cart track, unmetalled/ metalled road, State Highway	Less Accessible from cart track, unmetalled/metalled road, State Highway, Low tension line and some of the Line portion falls under Pancheshwar Dam Project as per their DPR.

Conclusion:- Referring to comparative statements for alternative routes and angle points summary, the routes are positioned on both side (Left and Right hand) of Bee Line . After initial inspection of Geographical Topo maps updated with satellite image and walk over survey, all three corridors were explored for the best route alignment. Special attention has been given to the existing EHV lines, Reserve Forest, River Crossings, National / State Highways, Minimum Route Length and habitation including Plantation. After detailed analysis **Alternative - I** is observed as most viable route for alignment due to better approach, and lesser Forest land used.

14/8/2018

User Agency

Asst. General Manager
Power Grid Corporation of India Limited
400 KV GIS, Jauljibi, Pithoragarh

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़